सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

बनवारीलाल वगैरा बनाम स्टेट व सोहनलाल वगैरा

अपील प्रकरण सं0 34/2018

अधिवक्ता अपीलार्थी श्री तेजा सिंह **अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट श्रीमहेश कुमार**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
28.05.18	प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 की चक 15 एम.एल. खाता सख्या 117 में मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1,10,11,20 सालम, 21 का 0.198 हैक्टर कुल 1.085 हैक्टर नहरी व 0.125 हैक्टर खाला कुल 1.201 हैक्टर नहरी भूमि में मुश्तर्का खाता में वादी संख्या 1 का 0.303 हैक्टर अपीलाट संख्या 2 का 0.303 हैक्टर व रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 का 0.604 हैक्टर नहरी भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है व मुरब्बा नम्बर 13 में दोनो पक्षों की जमीन है जिसमें अपीलांटान का किला नम्बर 23 व 24 है जिसमें अपने खेत में जाने के लिए उसने अपने खेत की सीमा पर किला नम्बर 24 में एक गेट बना रखा है जिससे वह अपने खेत में आता जाता व काश्त करता है और पशुओं की रखवाली के लिए उक्त गेट को बन्द कर देता है ताकि पशु अन्दर न जा सके। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स एक ही परिवार के है। आपस में घरू बंटवारा हो गया है। रेस्पोडेन्ट्स मुरब्बा नम्बर 16 में से प्रवेश करके काश्त करते है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान को बिना सुने अपीलांटान के खुद के आने जाने का रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है जो विधि के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती है। चक 15 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 16 में किला नम्बर 1,10,11,20 सालम, 21 का 0.198 हैक्टर दोनो पक्षो का सांझा है। इसी में से रेस्पोडेन्ट्स आ जा रहे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं की , बिना सुने , बिना नोटिस दिये आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती है। वादग्रस्त भूमि का लगान भी मुश्तर्का खाता में है लगान भी जब तक खाता मुश्तर्का है तब तक अलग से कायम नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि मुरब्बा नम्बर 16 के साथ मुरब्बा नम्बर 13 आगे चिपता पडता है जिसमें दोनो पक्षकारों की भूमि है उसमें आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वादग्रस्त भूमि की प्रारम्भिक डिग्री जारी कर उत्तर से दक्षिण किला नम्बर 1,10,11,20,21 में निस्फ निस्फ हिस्सा का बंटवारा करके फाईनल डिक्री जारी की जावें जिससे दोनो पक्ष मुरब्बा नम्बर 13 में भी अपने काब्जाकाश्त में पहुंचने में सक्षम होगें। इसलिए वादग्रस्त भूमि की हिस्से में आ जा रहे है। रास्ते की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया। इसलिए आदेश विधि के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती है। धारा 251 में रास्ता खुलवाने में तहसीलदार उसी जगह सक्षम है जहां रास्ता स्वीकृत हो और चालू रास्ता को बन्द कर दिया हो। मौजूदा केस में रास्ता स्वीकृत नहीं है और न ही रास्ताा चालू है यह तो अपीलांट का अपने खेत में जाने के लिए खेत की सीमा पर गेट लगाकर आने जाने की सुविधा बनाई हुई है। इस रास्ता को तहसीलदार खुलवाने में सक्षम नहीं है। अतःअपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 11.05.2018 व 14.05.2018 निरस्त फरमाया जावें।	

नम्बर 16 किला नम्बर 1,10,11,20 सालम, 21 का 0.198 हैक्टर कुल 1.085 हैक्टर नहरी व 0.125 हैक्टर खाला कुल 1.201 हैक्टर नहरी भूमि में मुश्तर्का खाता में वादी संख्या 1 का 0.303 हैक्टर अपीलाट संख्या 2 का 0.303 हैक्टर व रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 का 0.604 हैक्टर नहरी भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है व मुरब्बा नम्बर 13 में दोनो पक्षों की जमीन है जिसमें अपीलांटान का किला नम्बर 23 व 24 है जिसमें अपने खेत में जाने के लिए उसने अपने खेत की सीमा पर किला नम्बर 24 में एक गेट बना रखा है जिससे वह अपने खेत में आता जाता व काश्त करता है और पशुओं की रखवाली के लिए उक्त गेट को बन्द कर देता है ताकि पशु अन्दर न जा सके। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स एक ही परिवार के है। आपस में घरू बंटवारा हो गया है। रेस्पोडेन्ट्स मुरब्बा नम्बर 16 में से प्रवेश करके काश्त करते है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान को बिना सुने अपीलांटान के खुद के आने जाने का रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है जो विधि के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती है। चक 15 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 16 में किला नम्बर 1,10,11,20 सालम, 21 का 0.198 हैक्टर दोनो पक्षो का सांझा है। इसी में से रेस्पोडेन्ट्स आ जा रहे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं की , बिना सुने , बिना नोटिस दिये आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती है। वादग्रस्त भूमि का लगान भी मुश्तर्का खाता में है लगान भी जब तक खाता मुश्तर्का है तब तक अलग से कायम नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि मुरब्बा नम्बर 16 के साथ मुरब्बा नम्बर 13 आगे चिपता पडता है जिसमें दोनो पक्षकारों की भूमि है उसमें आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वादग्रस्त भूमि की प्रारम्भिक डिग्री जारी कर उत्तर से दक्षिण किला नम्बर 1,10,11,20,21 में निस्फ निस्फ हिस्सा का बंटवारा करके फाईनल डिक्री जारी की जावें जिससे दोनो पक्ष मुरब्बा नम्बर 13 में भी अपने काब्जाकाश्त में पहुंचने में सक्षम होगें। इसलिए वादग्रस्त भूमि की हिस्से में आ जा रहे है। रास्ते की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया। इसलिए आदेश विधि के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती है। धारा 251 में रास्ता खुलवाने में तहसीलदार उसी जगह सक्षम है जहां रास्ता स्वीकृत हो और चालू रास्ता को बन्द कर दिया हो। मौजूदा केस में रास्ता स्वीकृत नहीं है और न ही रास्ताा चालू है यह तो अपीलांट का अपने खेत में जाने के लिए खेत की सीमा पर गेट लगाकर आने जाने की सुविधा बनाई हुई है। इस रास्ता को तहसीलदार खुलवाने में सक्षम नहीं है। अतःअपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 11.05.2018 व 14.05.2018 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा चक 15 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 23 व 24 की दक्षिण दिशा में 30–35 सालों से चल रहे रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी , श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश कमांक 712–14 दिनांक 23.04.2018 को मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये, लेकिन अपीलांट द्वारा इस स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त रास्ता को अस्थाई गेट लगाकर बंद कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा उक्त रास्ते को खुलवाने के आदेश अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 की चक 15 एम.एल. खाता सख्या 117 में मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1,10,11,20 सालम, 21 का 0.198 हैक्टर कुल 1.085 हैक्टर नहरी व 0.125 हैक्टर खाला कुल 1.201 हैक्टर नहरी भूमि में मुश्तर्का खाता में वादी संख्या 1 का 0.303 हैक्टर अपीलाट संख्या 2 का 0.303 हैक्टर व रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 का 0.604 हैक्टर नहरी भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है व मुरब्बा नम्बर 13 में दोनो पक्षों की जमीन है। जिसमें अपीलांटान का किला नम्बर 23 व 24 है जिसमें अपने खेत में जाने के लिए उसने अपने खेत की सीमा पर किला नम्बर 24 में एक गेट बना रखा है वो आवारा पशुओ से फसल को सुरक्षित रखने हेतु बनाया हुआ है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की मुरब्बा नम्बर 13 में दोनो पक्षो की जमीन है एवं मुरब्बा नम्बर 16 में किला नम्बर 1,10,11,20 सालम, 21 का 0.198 हैक्टर भूमि हेतु मुरब्बा नम्बर 13 से चिपते किलो में होने के कारण उक्त रास्ता की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। हस्तगत निगरानी में तहसीलदार श्रीगंगानगर का आक्षेपित आदेश धारा 251 आर.टी. एक्ट के तहत विचारणीय होकर बाद सुनवाई विधि सम्मन कार्यवाही के तहत पारित किया गया प्रतीत नहीं होता। वह केवल एक प्रशासनिक पत्र मात्र है जो थानाधिकारी पुलिस थाना सदर को लिखा गया है। इस आदेश की विधि की दृष्टि में कोई अहमियत नहीं कि उसे अपील में चुनौती दी जा सके। अतः अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा उक्त रास्ते को खुलवाने के पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 व 14.05.2018 विधि की दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण निरस्त किये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/05/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर